

विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक- 22.08.2013 के बिन्दु संख्या-05
में अधोलिखित निर्णय लिया गया

निश्चय संख्या-05

बिन्दु संख्या(05):-

श्री शिवशंकर प्रसाद, श्री हरेन्द्र सिंह यादव एवं श्री रतेश कुमार चादत आदि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जं एम0फिल0 प्रमाण पत्र यू0जी0सी0 रेगुलेशन-2009 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप है, का प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में है, पर विचार।

निर्णय:-

परिषद् ने विचार विमर्श के अनन्तर यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 472वीं बैठक दिनांक 27.09.2010 में लिये गये निर्णय के आलोक में 2009 के पूरे एम0फिल0उपाधि प्राप्त छात्रों को यू0जी0सी0 विनियम 2009 के मापदण्ड के सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

डॉ०(साहब लाल गोयं)
कुलसचिव

पत्रांक:-कु०स०-2सी.रागिअ/1 नं० 2 /विद्यापरिषद् बैठक 04-3/12

तद दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा०कुलपति जी-सूचनार्थ।
2. परीक्षा निष्पन्नक।
3. अधीक्षक, परीक्षा गोपनीय/शोध पटल।
4. श्री विनोद कुमार, प्रभारी, संगणक केंद्र को इस आशय से कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करें।
5. सम्बन्धित पत्रागली।

कुलसचिव

23/8/13